न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2020(रसद)
पंजीयन दिनांक 19.10.2020
G.C.M.S. NO. :-2020/00408

राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री लाल सिंह पिता डालचन्द जाट निवासी ओछ्ड़ी, थाना सदर, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

2–श्री अरविन्द पिता मांगीलाल औड़, निवासी रिठेला, थाना सदर, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

3–श्री नारायण लाल पिता डालचन्द प्रजापत निवासी पुठेली, थाना चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितिः– 1–श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 02.02.2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.09.2020 को श्री अमित सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त चित्तौड़गढ़ को ओछ्डी टेल से आगे सड़क के पश्चिम में श्री लाल सिंह जाट निवासी ओछ्डी की भैरूनाथ हाईवे होटल पर अवैध रूप से इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल–पेट्रोल निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करने की जरिए मुखबीर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच जांच की जहां मौके पर दो व्यक्तियों को पुलिस जाप्ते की मदद से पकडा जिनके नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम लाल सिंह पिता डालचन्द जाट निवासी ओछ्डी दूसरे ने अपना नाम अरविन्द पिता मांगीलाल औड़ निवासी रिठेला, टैंकर का चालक होना बताया। मौके

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 22/2020 (रसद)
राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ बनाम श्री लाल सिंह पिता झलचन्द जाट निवासी ओछ्ड़ी, थाना सदर वगैरा

पर एक इंडियन ऑयल का टैंकर RJ 01 GB 2899 में 20000 लीटर डीजल भरा हुआ मिला उक्त टैंकर में से दो प्लास्टिक क्री केनों में 20-20 लीटर डीजल व एक प्लास्टिक केन में 35 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया जो डीजल उक्त टैंकर से चुरा कर निकालना उक्त दोनों अभियुक्तों ने बताया। मौके पर उपकरण प्लास्टिक की एक नली, प्लास्टिक का एक किमा मिला। उपरोक्त पेट्रोलियम पदार्थ व उपकरण मय इंडियन ऑयल का टैंकर RJ 01 GB 2899 को वजह सबूत जब्त कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अनुसंधान शुरू किया तथा विपक्षीगण के विरूद्ध जुर्म धारा 3/7 ई. सी. एक्ट व 379 भा. द. सं. का अपराध पाया जाने से टैंकर नम्बर RJ 01 GB 2899 तथा कुल 75 लीटर डीजल मय अन्य सामग्री को जब्त कर जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण हेतु धारा 6 ए के तहत यह आवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जसवन्त सिंह राठौड़ ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। उसके पश्चात् विपक्षीगण तथा उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा डीजल-पेट्रोल व अन्य उपकरणों को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत किया कि विपक्षीगण उक्त टैंकर नम्बर RJ 01 GB 2899 के चालक एवं क्लिनर है जो उक्त होटल पर खाना खाने गए थे अचानक पुलिस जाप्ता ने आकर उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया और टैंकर से डीजल चोरी का झूठा आरोप लगाया। उक्त प्रकरण से विपक्षीगण का कोई लेना-देना नहीं है उन्हें झूठा फंसाया गया है। पुलिस ने जो भी माल बरामद किया है उससे विपक्षीगण का कोई लेना देना नहीं है। उक्त माल को राजसात किया जावे तो विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर संख्या RJ01 GB 2899 एवं उसमें भरे हुए डीजल का स्वामित्व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर श्री सलीम बेग पिता मुश्ताक बेग निवासी ग्राम जिलावडा, वाया श्रीनगर, जिला अजमेर का प्रमाणित पाया जाने से इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 140/2020 (रे.वि.) में

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 27.10.2020 को पारित निर्णयानुसार उसके वैध स्वामी को 30.00 लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर रिलीज करने के आदेश दिये गए हैं।

विपक्षीगण श्री लाल सिंह पिता डालचन्द जाट निवासी ओछडी एवं श्री अरविन्द पिता मांगीलाल औड निवासी रिठेला भैरूनाथ हाईवे होटल पर टैंकर संख्या RJ 01 GB 2899 के पास मौके पर खडे हुए पाए गए। मौके पर उक्त टैंकर में से दो प्लास्टिक की केनों में 20-20 लीटर डीजल व एक प्लास्टिक की केन में 35 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया जो विपक्षीगण ने उक्त टैंकर से चोरी कर निकालना बताया तथा मौके पर ही एक प्लास्टिक की नली, एक प्लास्टिक का किमा आदि उपकरण भी पाए गए एवं उक्त स्थान पर विपक्षीगण के पास कोई अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर विपक्षीगण द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोख्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 75 लीटर डीजल मय अन्य उपकरण व सामग्री राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 12.09.2020 को जब्तशुदा कुल 75 लीटर डीजल मय तीन केन, प्लास्टिक की एक नली तथा प्लास्टिक का एक किमा आदि सामग्री को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 75 लीटर डीजल मय अन्य उपकरणों/सामग्री आदि को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(के. के. शर्मा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official